

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र [आर.ए.एस.]

प्रकरण संख्या : 157/2021

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सुखचैन सिंह पुत्र जगा सिंह जाति जटसिख आयु 45 वर्ष निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. जगा सिंह पुत्र नत्था सिंह जाति जटसिख आयु 70 वर्ष निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

1. अमेन्द्र सिंह पुत्र गुरअवतार सिंह जाति जटसिख निवासी चक 11 ओ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. अमरीक सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी चक 11 ओ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. कलवन्त कौर पत्नी चनन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।—मृतक
3/1 दयाल सिंह पुत्र चनन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. गुरबचन सिंह पुत्र हरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. गुलजार सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. जोगा सिंह पुत्र हरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
7. प्रीतम सिंह पुत्र हरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
8. बलविन्द्र कौर पत्नी गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। —मृतक
8/1 सुखदीप सिंह पुत्र गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

8/2 संदीप सिंह पुत्र गुरमीत
सिंह जाति जटसिख निवासी चक
6 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर
जिला श्रीगंगानगर।

9. मान सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति
जटसिख निवासी चक 6 ओ ए
तहसील श्रीकरनपुर जिला
श्रीगंगानगर।

10. मुख्तयार सिंह पुत्र अजमेर सिंह
जाति जटसिख निवासी चक 5
डब्ल्यू तहसील श्रीकरनपुर जिला
श्रीगंगानगर।—मृतक

10/1 राम सिंह पुत्र मुख्तयार
सिंह जाति जटसिख निवासी चक
5 डब्ल्यू तहसील श्रीकरनपुर
जिला श्रीगंगानगर।

10/2 गुरजीत सिंह पुत्र
मुख्तयार सिंह जाति जटसिख
निवासी चक 5 डब्ल्यू तहसील
श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

11. महेन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिंह
जाति जटसिख निवासी चक 7
डब्ल्यू तहसील श्रीकरनपुर जिला
श्रीगंगानगर।—मृतक

11/1 बलदेव सिंह पुत्र महेन्द्र
सिंह जाति जटसिख निवासी चक
7 डब्ल्यू तहसील श्रीकरनपुर
जिला श्रीगंगानगर।

11/2 कुलवीर सिंह पुत्र महेन्द्र
सिंह जाति जटसिख निवासी चक
7 डब्ल्यू तहसील श्रीकरनपुर
जिला श्रीगंगानगर।

12. राजेन्द्र सिंह पुत्र कृपाल सिंह
जाति जटसिख निवासी चक 6
ओ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला
श्रीगंगानगर।

13. रिछपाल कौर पत्नी धर्म सिंह
जाति जटसिख निवासी चक 6
ओ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला
श्रीगंगानगर।—मृतक

13/1 निर्मल सिंह पुत्र धर्म
सिंह जाति जटसिख निवासी चक
6 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर
जिला श्रीगंगानगर।

13/2 बक्शीश सिंह पुत्र धर्म
सिंह जाति जटसिख निवासी चक
6 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर
जिला श्रीगंगानगर।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर

13/3 जितेन्द्र सिंह पुत्र धर्म सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

14. लखविन्द्र सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी चक 11 ओ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

15. सुखदेव सिंह पुत्र प्यारा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

16. सूरता सिंह पुत्र प्यारा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

17. हरजिन्द्र कौर पत्नी गुरअवतार सिंह जाति जटसिख निवासी चक 11 ओ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

18. हरजीत सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

19. हरबंस सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

20. हाकम सिंह पुत्र कुन्दन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। -मृतक

20/1 अवतार सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

20/2 राजविन्द्र सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी चक 52 जी जी गुलाबेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

21. गुरमीत सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

22. जसपाल सिंह पुत्र बलकार सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए ढाणी तहसील श्रीकरनपुर



उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान)
श्री करनपुर

जिला श्रीगंगानगर।

23. बलकार सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
24. रविन्द्र सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
25. सतपाल सिंह पुत्र काला सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
26. सरजीत सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
27. सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र नत्था सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
28. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 29.12.2021

उपस्थित: 1. श्री इन्द्रजीत सिंह, बलवीर सिंह अधिवक्ता वादीगण

--निर्णय--

दिनांक: 09.05.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 6 ओ ए की जमावन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 4/3 के मुरब्बा नम्बर 4, 8, 11, 21, 22, 32/1, 32/7, 32/8 की कुल 15.344 हैक्टेयर नहरी मय खाला भूमि में वादी संख्या 1 सुखचैन सिंह के नाम 0.695 हैक्टेयर व वादी संख्या 2 जगा सिंह के नाम 0.759 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि वादी की खरीदशुदा भूमि है। चक 6 ओ के खाता संख्या 4/19 के मु०न० 21 के किला नं० 8 में 0.126 है०, किला नं० 13 में 0.126 है०, किला नं० 18 में 0.127 है०, किला नं० 3 में 0.114 है०, किला नं० 22 में 0.126 है०, किला नं० 23 में 0.076 है० कुल 0.695 है० नहरी भूमि वादी संख्या 1 सुखचैन सिंह द्वारा हरबंस सिंह पुत्र सज्जन सिंह व अमरीक सिंह, गुरप्रीत सिंह पिसरान हरबंस सिंह जातियान जटसिख निवासीगण चक 11 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा 1979 से खरीद की हुई है व इसी चक के खाता संख्या 4/19 के मु०न० 21 में किला नं० 2 में 15 बिस्वा, किला नं० 9 में 15 बिस्वा, किला नं० 12 में 15 बिस्वा, किला नं० 19 में 15 में बिस्वा वादी संख्या 2 जगा सिंह द्वारा हरबंस सिंह पुत्र सज्जन सिंह व अमरीक सिंह, गुरप्रीत सिंह पिसरान हरबंस सिंह जातियान जटसिख निवासीगण चक 11 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा से किलेवाईज खरीद



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करनपुर

की हुई है। खरीद की दिनांक से उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा शांतिपूर्वक, लगातार चला आ रहा है। पानी की पर्ची भी वादीगण के नाम से बंधती चली आ रही है। चक 6 ओ ए के खाता संख्या 10 की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 के मुर्ब्या नम्बर 22, 32/2 की कुल 2.441 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में वादी संख्या 1 सुखचैन सिंह के नाम 0.480 है० भूमि दर्ज कागजात माल है। उक्त भूमि वादी संख्या 1 सुखचैन सिंह द्वारा खातेदार मुख्तयार सिंह पुत्र अजमेर सिंह से मु०नं० 22 में 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 18.08.2009 को खरीद की गई थी। उक्त भूमि का कब्जा बेचानकर्ता द्वारा खाता संख्या 4 के मु०नं० 22 के किला नं० 13 में 0.126 है० पूर्वी हिस्सा व किला नं० 18 में 0.227 है० पूर्वी हिस्सा, किला नं० 23 में 0.089 है० पश्चिमी व उतरी हिस्सा, किला नं० 19 में 0.019 है० पूर्वी हिस्सा, किला नं० 22 में 0.019 है० पूर्वी हिस्सा इस प्रकार कुल 0.480 है०, भूमि पर दिया गया और पानी की पर्ची वादी को प्राप्त होती चली आ रही है। जिसका पारिवारिक बंटवारनामा अनुसार उक्त भूमि पर वादी का कब्जा काशत चला आ रहा है। उक्त भूमि जो वादी संख्या 1 के नाम खाता संख्या 10 में 0.480 है० भूमि को हटाकर खाता संख्या 4 के मु०नं० 22 के किला नं० 13 में 0.126 है० पूर्वी हिस्सा व किला नं० 18 में 0.227 है० पूर्वी हिस्सा, किला नं० 23 में 0.089 है० पश्चिमी- उतरी हिस्सा, किला नं० 19 में 0.019 है० पूर्वी हिस्सा, किला नं० 22 में 0.019 है० पूर्वी हिस्सा इस प्रकार कुल 0.480 है० भूमि का बतौर खातेदार मालिक घोषित किया जाकर भूमि को अलग से किलावाइज नाम दर्ज की जावे। खाता संख्या 10 के मु०नं० 22 में वादी के नाम जमाबन्दी में 0.480 है० भूमि दर्ज है। जबकि उक्त खाता संख्या 10 में मु०नं० 22 में वादी का कब्जा काशत नहीं है, क्योंकि वादी द्वारा उक्त भूमि मुख्तयार सिंह से रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की हुई है। उक्त भूमि पर वादी का कब्जा लगातार खरीद की दिनांक से बिना रोक टोक एवं शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादाधीन भूमि संयुक्त खाता की भूमि है और भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट चुकी है इस कारण भूमि की काशत करने, बैंक ऋण प्राप्त करने, सिंचाई करने, गिरदारी व लगान आदि के बाबत् व रस्ता के बाबत् भारी असुविधा होती है और परेशानी बनी रहती हैं। जब तक संयुक्त खाता की भूमि का विधिवत् रूप से बंटवारा नहीं हो जाता है, तब तक संयुक्त खाता की भूमि का प्रत्येक इंच पर, प्रत्येक सहखातेदार का बहिस्सा बराबर कब्जा माना जाता है। इसलिए इस परेशानी का एक मात्र उपाय यह है कि माननीय न्यायालय में विभाजन का वाद पत्र प्रस्तुत करके संयुक्त खाता की भूमि का विधिवत् बंटवारा करवाया जाकर विभाजन की डिक्री प्राप्त की जावे। इस कारण वादीगण वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी हैं। वादीगण दिनांक 21.11.2021 को प्रतिवादीगण से मिले व संयुक्त खाता की भूमि का विधिवत् विभाजन करवाने का कहा तो प्रतिवादीगण वादाधीन भूमि का विधिवत् विभाजन करवाने से साफ इन्कार हो गया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश हैं। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से सादर डिक्री फरमाया जावे कि :- कि तहसील श्रीकरनपुर के चक 6 ओ के खाता संख्या 4/19 के मु०नं० 22 के किला नं० 8 में 0.126 है०, किला नं० 13 में 0.126 है०, किला नं० 18 में



अखण्ड अधिकारी (राजस्थान)
श्री करनपुर

0.127 है०, किला नं० 3 में 0.114 है०, किला नं० 22 में 0.126 है०, किला नं० 23 में 0.076 है० कुल 0.695 है० नहरी भूमि का वार्दी संख्या 1 सुखचैन सिंह को, चक 6 ओ ए के खाता संख्या 4/19 के मु० नं० 21 में किला नं० 2 में 15 बिस्वा, किला नं० 9 में 15 बिस्वा, किला नं० 12 में 15 बिस्वा, किला नं० 19 में 15 में बिस्वा कुल 0.759 है० भूमि का वार्दी संख्या 2 जगा सिंह को खातेदार मालिक घोषित किया जाकर खाता व लगान अलग से कायम किया जाये तथा चक 6 ओ ए के खाता संख्या 10 जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 में दर्ज 0.480 है० भूमि वार्दी संख्या 1 सुखचैन सिंह द्वारा खातेदार मुख्तयार सिंह पुत्र अजमेर सिंह से मु० नं० 22 में 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 18.08.2009 को खरीद की गई थी। उक्त भूमि का कब्जा बेचानकर्ता द्वारा खाता संख्या 4 के मु० नं० 22 के किला नं० 13 में 0.126 है० पूर्वी हिस्सा व किला नं० 18 में 0.227 है० पूर्वी हिस्सा, किला नं० 23 में 0.089 है० पश्चिमी उतरी हिस्सा, किला नं० 19 में 0.019 है० पूर्वी हिस्सा, किला नं० 22 में 0.019 है० पूर्वी हिस्सा इस प्रकार कुल 0.480 है०, भूमि वार्दी संख्या 1 के पास 2009 से कब्जा काशत में है। इसलिए उक्त भूमि जो वार्दी संख्या 1 के नाम खाता संख्या 10 में 0.480 है० भूमि को हटाकर खाता संख्या 4 के मु० नं० 22 के किला नं० 13 में 0.126 है० पूर्वी हिस्सा व किला नं० 18 में 0.227 है० पूर्वी हिस्सा, किला नं० 23 में 0.089 है० पूर्वी हिस्सा, किला नं० 19 में 0.019 है० पूर्वी हिस्सा, किला नं० 22 में 0.019 है० हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा इस प्रकार कुल 0.480 है० भूमि का वतौर खातेदार मालिक घोषित किया जाकर भूमि को अलग से किलावार्ड नाम दर्ज की जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 14 ता 19, 20/1, 20/2 ता 27 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी संख्या 1, 1.176 हैक्टेयर भूमि व वादी संख्या 2, 0.759 हैक्टेयर भूमि के खातेदार काशतकार है। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम चक 6 ओ ए की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 4/3 के मुरब्बा नम्बर 4, 8, 11, 21, 22, 32/1, 32/7, 32/8 की कुल 15.344 हैक्टेयर नहरी मय खाला भूमि में वादी संख्या 1 सुखचैन सिंह के नाम 0.696 हैक्टेयर व वादी संख्या 2 जगा सिंह के नाम 0.759 है० भूमि व इसी चक की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 10/9 के मुरब्बा

नम्बर 22, 32/2 की 2.441 हेक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से वादी संख्या 1 सुखचैन सिंह के नाम 0.480 हेक्टेयर भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण मध्य बंटवारा भौके पर बाई मिट्टस एण्ड वाउण्डम करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जाये तथा शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 1198 दिनांक 04.05.2022 के अनुसार चक 6 ओ ए की जमाबन्दी के खाता संख्या 10 के मुरब्बा नम्बर 22, 32/2 की कुल 2.441 हेक्टेयर नहरी मय खाला भूमि में से सुखचैन सिंह पुत्र जगा सिंह उर्फ जगत सिंह के नाम से 0.480 हेक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, लेकिन इस भूमि पर गुलजार सिंह, राजेन्द्र सिंह, हरजीत सिंह, हरबन्स सिंह पिसरान कृपाल सिंह का बहिस्साबराबर कब्जा काश्त है। इसी चक के खाता संख्या 4 में मुरब्बा नम्बर 4,8,11,21,22,32/1, 32/7,32/8 में कुल 15.344 हेक्टेयर नहरी मय खाला भूमि में गुलजार सिंह, राजेन्द्र सिंह, हरजीत सिंह, हरबन्स सिंह पिसरान कृपाल सिंह के नाम 0.638 हेक्टेयर नहरी मय खाला भूमि दर्ज है। उक्त 0.638 हेक्टेयर भूमि में से 0.480 हेक्टेयर जो कि मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 13/0.127, 18/0.228, 19/0.020, 22/0.016, 23/0.089 कुल 0.480 हेक्टेयर भूमि पर सुखचैन सिंह पुत्र जगा सिंह उर्फ जगत सिंह का कब्जा काश्त है। इस प्रकार सुखचैन सिंह पुत्र जगा सिंह उर्फ जगत सिंह का खाता संख्या 10 में कब्जा काश्त नहीं होने के कारण नाम हटाया जाना उचित है व उसके स्थान पर गुलजार सिंह, राजेन्द्र सिंह, हरजीत सिंह, हरबन्स सिंह पिसरान कृपाल सिंह ब.हि.ब. का नाम दर्ज किया जाना उचित है। इसी प्रकार खाता संख्या 4 में गुलजार सिंह वगैरह के नाम 0.638 हेक्टेयर में से 0.480 हेक्टेयर भूमि सुखचैन सिंह पुत्र जगा सिंह उर्फ जगत सिंह के नाम की जानी उचित है।

बहस उभय पक्ष अधिवक्ता वादीगण सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईशतदुआ की है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वादीगण अधिवक्ता एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना उचित समझते है।

:-आदेश:-

अतः माफिक बंटवारा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम चक 6 ओ ए की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 4/3 के मुरब्बा नम्बर 4, 8, 11, 21, 22, 32/1, 32/7, 32/8 की कुल 15.344 हेक्टेयर नहरी मय खाला भूमि में वादी



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

संख्या 1 सुखचैन सिंह के नाम 0.696 हेक्टेयर व वादी संख्या 2 जगा सिंह के नाम 0.759 है 0 भूमि व इसी चक की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 10/9 के मुरब्बा नम्बर 22, 32/2 की 2.441 हेक्टेयर नहरी मय गैरमुर्माकिन खाला भूमि में से वादी संख्या 1 सुखचैन सिंह के नाम 0.480 हेक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु. न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान	
1	सुखचैन सिंह पुत्र जगा सिंह जाति जटसिख आयु 45 वर्ष निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर(1.176 है.) जगा सिंह पुत्र नत्था सिंह जाति जटसिख आयु 70 वर्ष निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर(0.759 है.)	6 ओ ए	22	13	0.127 हेक्टेयर	नहरी	1.05	
				18	0.228 हेक्टेयर	नहरी	1.89	
				19	0.020 हेक्टेयर	नहरी	0.17	
				22	0.016 हेक्टेयर	नहरी	0.13	
				23	0.089 हेक्टेयर	नहरी	0.74	
				21	2	0.171 हेक्टेयर	नहरी	1.42
				3/1	0.114 हेक्टेयर	नहरी	0.95	
				8/2	0.126 हेक्टेयर	नहरी	1.04	
				9	0.190 हेक्टेयर	नहरी	1.58	
				12	0.190 हेक्टेयर	नहरी	1.58	
				13/1	0.126 हेक्टेयर	नहरी	1.04	
				18/2	0.127 हेक्टेयर	नहरी	1.05	
				23/1	0.076 हेक्टेयर	नहरी	0.63	
				22	0.114 हेक्टेयर	नहरी	0.95	
				19	0.190 हेक्टेयर	नहरी	1.58	
32/8	0.032 हेक्टेयर	गै.मु.खा	0.00					

शेष खाता एवं रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नंजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 09.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्या दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

सुखचैन सिंह आदि बनाम अमेन्द्र सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 88, 53, 91 आरटीए मुकदमा नं. 157/2021

निर्णय दिनांक :- 09.05.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिराल कतई रुबरु उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह, बलवीर सिंह पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

माफिक बंटवारा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम चक 6 ओ ए की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 4/3 के मुर्ब्बा नम्बर 4, 8, 11, 21, 22, 32/1, 32/7, 32/8 की कुल 15.344 हैक्टेयर नहरी मय खाला भूमि में वादी संख्या 1 सुखचैन सिंह के नाम 0.696 हैक्टेयर व वादी संख्या 2 जगा सिंह के नाम 0.759 है 0 भूमि व इमी चक की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 10/9 के मुर्ब्बा नम्बर 22, 32/2 की 2.441 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से वादी संख्या 1 सुखचैन सिंह के नाम 0.480 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान	
1	सुखचैन सिंह पुत्र जगा सिंह जाति जटसिख आयु 45 वर्ष निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर(1.176 है.) जगा सिंह पुत्र नल्था सिंह जाति जटसिख आयु 70 वर्ष निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर(0.759 है.)	6 ओ ए	22	13	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.05	
				18	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89	
				19	0.020 हैक्टेयर	नहरी	0.17	
				22	0.016 हैक्टेयर	नहरी	0.13	
				23	0.089 हैक्टेयर	नहरी	0.74	
				21	2	0.171 हैक्टेयर	नहरी	1.42
				3/1	0.114 हैक्टेयर	नहरी	0.95	
				8/2	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.04	
				9	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.58	
				12	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.58	
				13/1	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.04	
				18/2	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.05	
				23/1	0.076 हैक्टेयर	नहरी	0.63	
				22	0.114 हैक्टेयर	नहरी	0.95	
				19	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.58	
				32/8	0.032 हैक्टेयर	गै.मु.खा	0.00	

शेष खाता एवं रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे।

आज दिनांक 10.05.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	300	00	मेहनताना वकाल पर	00	--
योग	304	00	योग	00	00

क्रमांक: सीडर/ 2022/ 260

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



[Signature]
 [सुभाष चन्द्र (अ.व.प.म.)]
 सहायक कलक्टर एवं पटेल (अ.व.प.म.) अधिकारी
 श्री करणपुर जिल्हा अदालत, श्री गंगानगर

दिनांक: 05.05.2022

[Signature]
 [सुभाष चन्द्र (अ.व.प.म.)]
 सहायक कलक्टर एवं पटेल (अ.व.प.म.) अधिकारी
 श्री करणपुर जिल्हा अदालत, श्री गंगानगर